



## दावा निपटान विभाग

24 सितंबर, 2020

### मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड- जमा बीमा दावा जमा करना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मापुसा यूसीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, बैंक को डी.आई.सी.जी.सी द्वारा 17 अप्रैल, 2020 से बीमित बैंक के रूप में विपंजीकृत कर दिया गया है।

2. डी.आई.सी.जी.सी द्वारा जमा बीमा दावा निपटान के लिए मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक(एमयूसीबी)के परिसमापक से जमा बीमा दावे प्राप्त करने के लिए, सभी जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि दावों को प्रस्तुत करने के संबंध में विवरण संबंधित अधिकारियों की संपर्क सूचना सहित बैंक की वेबसाइट [www.mapusaurbanbank.com](http://www.mapusaurbanbank.com) पर उपलब्ध हैं। जमाकर्ता कृपया अपना दावा बिना किसी देरी के उक्त बैंक की निकटतम शाखा या प्रधान कार्यालय या परिसमापक के प्रतिनिधि अर्थात श्री शैलेंद्र एस. सावंत (मोबाइल-09421157212) को प्रस्तुत करें।

ह-/  
डी के नालबंद  
उप महाप्रबंधक

September 24, 2020

### The Mapusa Urban Co-operative Bank of Goa Ltd. – Submission of deposit insurance claims

Consequent upon cancelling of banking license of the Mapusa UCBL by RBI, the bank has been de-registered as an insured bank with effect from April 17, 2020 by DICGC.

2. In order to receive the deposit insurance claims from liquidator of the Mapusa Urban Cooperative Bank (MUCB) for settlement by DICGC, all depositors are informed that the details regarding submission of claims including contact officials are available in bank's website at [www.mapusaurbanbank.com](http://www.mapusaurbanbank.com) and they may contact the nearest branch or Head Office of the said bank or the representative of the Liquidator i.e. Mr. Shailendra S. Sawant (Mobile-09421157212) to submit their claims without further delay.

Sd/-  
D.K. Nalband  
Deputy General Manager

Press Release: 2020-21/CSD-9

प्रेस विज्ञप्ति :2020-21/सीएसडी 9 -



**निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम**

**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION**

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहाय्योगी: Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)